राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

क्रमांक/न्याय/स.आ./2021/914 दिनांक 22.10.2021

–: आदेश :–

दिनांक 23.10.2021 एवं दिनांक 24.10.2021 को प्रातः 08.30 बजे से 11.30 बजे तक एवं दोपहर 02.30 बजे से सांय 05.30 बजे तक दो पारियों में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा पटवार सीधी भर्ती परीक्षा–2021 का आयोजन किया जाना है। इस परीक्षा में गोपनीयता, शुचिता, पारदर्शिता को बनाये रखने हेतु टेलीकॉम कम्पनियों की इन्टरनेट सेवायें प्रतिबन्धित करने पर नकल गिरोह की सक्रियता तथा इंटरनेट का उपयोग कर अनुचित साधनों के अपनाये जाने पर प्रभावी नियंत्रण रहेगा। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर एवं सवाई माधोपुर ने क्रमशः अपने पत्रांक 3910 एवं 6940 दिनांक 22.10.2021 द्वारा भी परीक्षा के निर्बाध आयोजन तथा अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने तथा सोशल मीडिया में अवांछित मैसेजों की उत्पन्न होने वाले तनाव की संभावना को देखते हुए कानून व्यवस्था एवं शान्ति बनाये रखने हेतु इन्टरनेट सेवाऐं बन्द रखने का अनुरोध किया है।

इस प्रकार मुझे समाधान हो गया है कि परीक्षाकाल के दौरान इन्टरनेट के माध्यम से फेक न्यूजं, दुर्घटनाओं की अफवाहें, पेपर लीक की अफवाहें आदि से कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने व लोकशान्ति में व्यवधान उत्पन्न होने की पूर्ण सम्भावना है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत व्यापक लोकहित में दिनांक 23.10.2021 एवं 24.10.2021 को उक्त परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भरतपुर संभाग के भरतपुर एवं सवाई माधोपुर जिले में लीज लाईन को छोड़कर 2G/3G/4G Data, Internet services, Bulk SMS/MMS/Whatsapp, Facebook, Twiter and other social media by Internet services providers (except voice call of land line and mobile phone) सेवाओं को निलम्बित किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं पी0 सी0 बेरवाल, संभागीय आयुक्त भरतपुर राजस्थान सरकार के गृह विभाग (ग्रुप–9) के आदेश क्रमांक/35(1)(Home-9)/2006 Pt. जयपुर दिनांक 02.09.2017 के तहत प्रदत्त शक्तियों (In exercise of the powers conferred by rule 2(1) of the Temporary suspension of Telecom services (Public emergency or Public safety Rules 2017)) का प्रयोग करते हुए **भरतपुर संभाग के भरतपुर एवं सवाई माधोपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में** (लीज लाईन को छोड़कर)

2G/3G/4G Data, Internet services, Bulk SMS/MMS/Whatsapp, Facebook, Twiter and other social media by Internet services providers (except voice call of land line and mobile phone)पर **इस आदेश के लागू होने की दिनांक 23.10.2021 को प्रातः 05.00 बजे से दिनांक 23.10.2021 को सांय 06.00 बजे तक 13 घण्टे के लिये अस्थायी निलम्बन (Temporary suspension order) आदेश जारी करता हूँ एवं सरकारी कार्यालयों की बी.एस.एन.एल ब्रॉण्ड बैण्ड व अन्य की लीज लाईन संचालित रहेगी।**

मैं भरतपुर संभाग के भरतपुर एवं सवाई माधोपुर जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लघंन करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उक्त सेवाओं का **यह प्रतिबन्धात्मक/अस्थायी निलम्बन आदेश दिनांक 23.10.2021 को प्रातः 05.00 बजे से दिनांक 23.10.2021 को सांय 06.00 बजे तक भरतपुर संभाग के भरतपुर एवं सवाई माधोपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।**

यह आदेश आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

(पी0 सी0 बेरवाल)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

क्रमांक/सम/**915–32**

दिनांकः **22.10.2021**

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
2. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज भरतपुर।
5. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर एवं सवाई माधोपुर।
6. जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर एवं सवाई माधोपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में संबंधित क्षेत्र में संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित कराई जावें।
7. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम कम्पनी, भारत संचार नगर निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, टाटा डोकोमो, रिलायन्स जिओ को पालनार्थ (द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक)
8. सहायक निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क भरतपुर एवं सवाई माधोपुर (द्वारा सम्बन्धित जिला कलक्टर)

22/10/21

संभागीय आयुक्त
भरतपुर